

REGD. NO. D. L.-33004/99



Incazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड IV

PART III-Section IV प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 366]
 नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

 No. 366]
 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

राष्ट्रीच अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2014

फा संख्या 62-1/2012/राअशिप(मानदण्ड तथा मानक)- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 12ए के साथ पठित खण्ड 32 के उप-खण्ड (2) धारा (घघ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (स्कूलों में अध्यापक की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2001 का अतिक्रमण करते हुए, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व की गई अधवा करने से छूट गई बातों को छोड़कर परिषद निम्न् विनियम बनाती है नामतः

1. लघु शाीर्षक तथा प्रवर्तन

(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व—प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट कालेजों में शिक्षा अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्युनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2014 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

4950GI/2014

ये विनियम पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल में अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च माध्यमिक अथवा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती के लिए लागू होंगेः

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'स्कूल शब्द में निम्न शामिल हैं:

(1) केन्द्रीय संरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा नियंत्रित स्कूल।

 (i) ऐसा स्कूल जो अपने व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त कर रडा है।

(ii) ऐसा स्कूल जो अपने 'व्यय की पूर्व अथवा आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त कर रड़ा है।

(1)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

tiii ऐसा स्कूल जो अपने व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय 🛶 प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

[PART III-SEC. 4

٤.

भर्ती के लिए अर्हताएं

क) पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल में अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले इंटरमीडिएट कालेज में अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हताएं इन विनियमों के साथ संलग्न पहली और दूसरी अनुसूची (अनुसूचियों) के अनुसार होगी।

(खा अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूची(अनुसूचियों) में यथानिर्दिष्ट संगत न्यनतम अर्हताएं लागू हैं।

5. ढील देने की भाक्ति

जहां परिषद संबंधित राज्य सरकार से संदर्भ प्राप्त होने पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण विनियमों के कतिपय प्रावधानों में ढील दिए जाने की जरूरत है, तो वह ऐसे प्रावधान में ऐसी सीमा तक, ऐसी समय अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन जो वह जरूरी समझे, एक उचित और न्यायसंगत तरीके से ढील दे सकती है:

लेकिन शर्त यह है कि स्तर 3 के अध्यापकों (कक्षा I से VIII) की नियुक्ति के लिए पहली अनुसूची में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम् अर्हताओं के संबंध में विनियमों के अधीन कोई ढील नहीं दी जाएगी।

निर्वचन

यादि इन विनियमों के निर्वचन अथवा विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समतुल्यता को लेकर कोई प्रश्न उपस्थित होता है ता इस संबंध में परिषद निर्णय लेगी:

पहली अनुसूची

[देखें विनियम (4) का उपविनियम(ख)]

(पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट कालेजों में शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2014

| स्तर | न्यूनतम अकादमिक तथा व्यावसायिक अर्हताए |
|---|---|
| स्कूल-पूर्व/नर्सरी(4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए) | (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)। अथवा |
| | (ii) 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 45% अंकों संहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)। |
| 2 | तथा (ख) नर्सरी अध्यापक शिक्षा ⁄ स्कूल–पूर्व शिक्षा ⁄ प्रारंभिक शैशवावस्था शिक्षा कार्यक्रम (डी.ई.सी.एड.) का कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से बी.एड(नर्सरी)। |
| प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा I से कक्षा VIII) | निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(2009 का 35वां) के खण्ड 23 के उप—खण्ड (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23.08.2010 की समय—समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं। |
| माध्यमिक / हाईस्कूल (कक्षा IX से कक्षा X के लिए) | (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुत्य) में कम से कम 5045% अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक(बी.एड.)। |

| [भार - खण्ड 4] भरत का राजपत्र | ः असाधरण 3 |
|------------------------------------|--|
| | अथवा (ख) 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथव |
| | प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम) तथा (10.12.2007 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसवे समतुल्य) में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक/ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त |
| | संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)। अथवा (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त किसी भ संस्थान से बी.ए.एड. / बी.एससी.एड की चार वर्षीय डिग्री। |
| उच्च माध्यमिक ⁄इंटरमीडिएट (XI-XII) | (क) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 % अंकों सहित स्नातकोत्तर(अंथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक(बी.एड.)। अथवा |
| | (ख) (13.11.2002 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्ष परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने क समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथव प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10 |
| | 12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यत मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के अनुसार किर्स मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथव इसके समतुल्य) में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर। |
| | अथवा (ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम से क 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथ राअशिप से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से बी.ए.एड/बी.एसर्स एड.। |

दूसरी अनुसूची

[देखें विनियम (4) का उपविनियम(ख)]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कालेजों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्घारण) विनियम 2014।

| स्तर | न्यूनतम अकादमिक तथा व्यावसायिक अर्हताए |
|---|---|
| प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा I अथवा इसके VIII) | (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)। |
| | ' अथवा |
| | ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की है तथा जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 (10.02.2007 को अधिसूचित) के अनुसार कम से कम स्कूल/कालेज/जिला स्तर पर खेलकूद/खेलों में भाग लिया हो। |

52

刻

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

| N 8 1 2000 at | अथवा |
|--|--|
| | 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिष |
| | (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने व |
| | समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लि |
| | मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथय |
| | प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसा |
| far san in a la l | किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच |
| | माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)। |
| | तथा (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त किसी भ |
| | (ख) राष्ट्राय अव्यापक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष क प्रमाण |
| | पत्र / डिप्लोमा (अथवा इसके समतुल्य) |
| . नाध्यमिक / हाई स्कूल (कक्षा IX-X) | एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% |
| | अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री)। |
| | अथवा |
| | एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% |
| # 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा ऐसोसिएश |
| | ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक ऐसोसिएश |
| | द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथव |
| | अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथव |
| | ऐथलिटिक्स में सहभागिता। |
| | अथवा |
| | 45% अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज |
| | अध्यवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों अथव |
| | ऐथलिटिक्स में सहभागिता। |
| in a fair a san in a 's in a ' | अथवा |
| | प्रतिनियुक्ति सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरि |
| i i a di infan Carl a cur | अध्यापक / कोच) – 45% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्री |
| | अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनिय |
| | 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव। अथवा |
| | अवयः। 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। |
| | 45% अफी साहत शासारक शिक्षा में स्नोतक। अथवा |
| ingen i persona provide i pers | एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 409 |
| | ुर्फ वकाल्पक विषय के रूप ने शासारक शिक्षा के साथ 40. अंकों सहित स्नातक। |
| | अथवा |
| | ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्त |
| | कालेजीएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शि |
| | परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 [(10.1 |
| a da de la composición | 2007)] को अधिसूचित) के अनुसार एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र पा |
| | किया हो।। |
| | अथवा |
| The state of the second sec | शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का रनातक अर्थात बी. |
| | एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) |
| | अथवा |
| s se a la super la s | ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स |
| | राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। |
| | अथवा |
| and the second | ऐसा स्नातक जिसने अन्तर-कालेजिएट खेलकूद/खे |
| | प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त कि हो/एनसीसी 'सी'प्रमाणपत्र का धारक हो अथवा जिस |
| | । हो / एनसासां सा प्रमाणपत्र को धारक हो अथवा जिस जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो । |
| i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | अधिनपूर्ण खलपरूप न बुनियोपा पाउ्पप्रम पास फिया हो। अथवी |
| 100 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 | ाउ.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिष |
| | The second secon |
| 4. 4. 4. A. | (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने व |

| _ | | | | | The state of the s |
|---|------------------|-----------------|--|----------------------|--|
| | | | | | समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए |
| | 10 | | | | मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथव |
| | | | · · · · · | 10 E | प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसा |
| | | 240 134 | | · · · · | खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबन्ध, खेलकूद कोचिंग, योगा |
| | | | | | आलम्पिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष व |
| | | | | | प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। |
| | | | | | तथा |
| | | | | 24 - BJ | (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी |
| | | | | ar 200 ^a | संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि |
| | | | 0 | | का स्नातक (बी.पी.एड) {अथवा इसके समंतुल्य}। |
| | उच्च माध | यमिक / डंब | टरमीडिएट (कक्षा XI | (-XII के जिए) | शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड) अथवा शारीरिक शिक्षा में |
| | | | | | रनातक (बी.पी.ई) अथवा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में विज्ञान |
| | | | | | स्नातक (बी.एस.सी) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषय |
| | | | | | (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार |
| | | | | 1 A | कम से कम 55% अंकों सहित खेलकूद में डिग्री। |
| | | | | | |
| | | | 18 N. | | अथवा |
| | 8 e - | | a s ^a 15 ¹⁰ | ສ ແລະ ຣ ແ | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) |
| | 8 ² 9 | s 18 | 25 10 10 ¹⁰ 10 | 1 | विनियम् 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार बी.पी |
| | | × | | 1. s. M ² | एड. डिग्री/बी.पी.एड (एकीकृत) ४ वर्षीय व्यावसायिक डिग्री मे |
| | | 15 | | | कम से कम 50% अंक। |
| 2 | e e | | | 87 | अथवा |
| | | | a l'accadí | | कम से कम 55% अंकों सहित बी.पी.एड अथवा 13.11.2002 के |
| | | | 2012 3 ¹² 3 ¹⁴ 3 | | अधिसूचित विनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्ष |
| | | * | 2 A 242 | | परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा कराने |
| | | | | | की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए |
| | | | | | मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथव |
| | | | | (*) | प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसार |
| | | | 18 S.S. | | कम से कम 50% अंकों सहित 3 वर्ष की अवधि का बी.पी.ई |
| | | | | | |
| | | 65. B. I. | | | पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)। |
| | 19 | | | | तथा . |
| | 2 | | | | (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी |
| 1 | | С. С. 1 С. 1 | · | | संस्थान से कम से कम 2 वर्ष की अवधि का एम.पी.एउ |
| | 1945 - V | | N | | पाठ्यक्रम । |

जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा. / 131 / 2014]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2014

F. No.-62-1/2012/NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred under Clause (dd) of Sub-section (2) of Section 32 read with Section 12A of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Council hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short Title and Commencement-

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruized as Education Teachers and Physical Education Teachers in Preprimary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014. (

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

4950 erl 14-2

2 Applicability-

These Regulations shall be applicable for recruitment of teachers and Physical Education Teachers in any recognized school imparting Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary or Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges imparting senior secondary education:-

Exp anation: - For the purpose of this regulation, the term "School" includes-

- (i) A school established, owned and controlled by the Central Government, or the State Government or a local authority;
- A school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the Central Government or the State Government or a Local Authority;
- (iii) A school not receiving any aid or grants to meet whole or part of its expenses from the Central Government or the State Government or a Local Authority.

Qualifications for Recruitment -

- (a) The qualifications for recruitment of teachers in any recognized school imparting Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges imparting senior secondary education shall be as given in the First and Second Schedule(s) annexed to these Regulations.
- (b) For promotion of teachers the relevant minimum qualifications as specified in the First and Second Schedulc(s) are applicable for consideration from one level to the next level.

E Power to relax

Where the Council is satisfied on receipt of reference from the concerned State Government that special circumstances exist warranting relaxation of some of the provisions of the Regulations, it may grant relaxation of that provision to such extent, for such time period and subject to such conditions and limitations as it may consider necessary, in a just and equitable manner;

Provided, that no relaxation, shall be granted under these Regulations with regard to the minimum qualifications for appointment of teachers for Level 3 (Class I to VIII) as specified in the First Schedule.

6. Interpretation

If any question arises relating to interpretation of these Regulations or equivalence of various teacher's training programmes, the Council shall decide the same.

First Schedule

{See Sub-regulation (2) of Regulation (4)}

The National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers in Pre-primary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014.

| LEVEL | MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS |
|---|--|
| L Pre-School/Nursery (For children in the age group of 4-6 years) | a. (i) Senior Secondary (Class XII or its equivalent) from recognized board with at least 50% marks Or |
| 2. Pre-School/Nursery followed by first two years in a formal school. | (ii) Senior Secondary (Class XII or its equivalent) from recognized board with at least 45% marks in accordance with the National Council for Teacher Education (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002 And; |
| | b. Diploma in Nursery Teacher Education/Pre-School Education/Early Childhood Education Programme (D.E.C.Ed.) of duration of not less than two years, or B.Ed. (Nursery) from National Council for Teacher Education recognized institution. |
| 3. P-imary and Upper Frimary (For Classes I to VIII) | Minimum qualifications as laid down by National Council for Teacher Education vide its notification dated 23.08.2010 as amended from time to time issued in exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) |
| 4. Secondary/High School (For Classes IX-X) | (a) Graduate/Post Graduate from recognized University with at least 50% marks in either Graduation or Post Graduation (or its equivalent) and Bachelor of Education (B.Ed.) from National Council for Teacher Education recognized institution. |

6



PART III-SEC.

S ..

| 1 | 1–অণ্ড | 4] |
|---|--------|----|

भारत का राजपत्र : असाधारण

桥


| | Or |
|---|---|
| | (b) Graduate/Post Graduate from recognized University with at least 45% marks in either Graduation or Post Graduation (or its equivalent) and Bachelor of Education (B.Ed.) from National Council for Teacher Education recognized institution {in accordance with the National Council for Teacher Education (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standarcs for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002 and National Council for Teacher Education Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10.12.2007} (c) 4-years degree of B.A.Ed/B.Sc.Ed. from any National Council for Teacher |
| | Education recognized institution. |
| 5. Senior Secondary/ Intermediate (For Classes XI- XII) | (a) Post Graduate with at least 50% marks (or its equivalent) from recognized University and Bachelor of Education (B.Ed.) from National Council for Teacher Education recognized institution. Or |
| | (b) Post Graduate with at least 45% marks (or its equivalent) from recognized University and Bachelor of Education (B.Ed.) from National Council for Teacher Education recognized institution {in accordance with the National Council for Teacher Education (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002 and National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on |
| e ^{a m} ore (, e , eg., | 10.12.2007 - |
| 1 <u>1</u> 2 3 13 | |
| | (c) Post Graduate with at least 50% marks (or its equivalent) from recognized University and B.A.Ed./B.Sc.Ed. from any NCTE recognized institution. |


Second Schedule

Second Schedule {See Sub-regulation (2) of Regulation (4)} The National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Physical Education Teachers in Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014.

| | or Colleges) Regulations, 2014. |
|--|--|
| LEVEL | MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS |
| 1. Primary and Upper Primary (For Classes I to VIII) | (a) Senior Secondary (Class XII or its equivalent) with at least 50% marks from recognized board Or |
| | Candidates who have passed the Senior Secondary examination (+2) or its equivalent and have participated in sports/games at least school/college/district level in accordance with the and National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10.12.2007} Or |
| | Senior Secondary (Class XII or its equivalent) with at least 45% marks from recognized board (in accordance with the National Council for Teacher Education (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002 and |
| | (b) Certificate/Diploma in Physical Education of duration not less than two years (or its equivalent) from any National Council for Teacher Education recognized institution |
| 2.Secondary/High School (For Classes | Bachelor's cegree with Physical Education as an elective subject with 50% marks Or |
| IX-X) | Bachelor's cegree with Physical Education as an elective subject with 45% marks and participation in National or State or Inter-University competitions in sports or games or athletics recognized by Association of Indian University or Indian Olympic Association |
| 12 . a * | Or |
| | Bachelor's cegree with 45% marks and having participated in National Or State or Inter-University sports or games or athletics |

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY





JUGLAL SINGH, Member Secy. [ADVT III/4/Exty./131/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.